



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7765

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 688 वर्ष 2026

सतीशआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अभिजीत मिश्रा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 415 वर्ष 2025, धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना भोगांव, जिला मैनपुरी में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत की मांग की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है।

आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसका नाम पुलिस के समक्ष दिए गए उसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपने इकबालिया बयान में आया है, जिसका कानून की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक पर CMP की झूठी बरामदगी थोपी गई है। आवेदक को सौंपे गए दो मामलों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 8.8.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है।
7. सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** में अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वयं जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसके जमानत का मामला बनता हो।
8. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की धारणा" के सुप्रसिद्ध सिद्धांत से जमानत को नियम के रूप में तथा कारावास को अपवाद के रूप में मानने की अवधारणा उत्पन्न होती है।
9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस कारण नहीं छीना जा सकता कि व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है, जब तक कि उचित संदेह से परे अपराध स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उद्घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं छीना जा सकता, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत एवं उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51 में पुनः दोहराया है।

10. उपरोक्त दृष्टिकोण को पुनः दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 के मामले में पुनः बल दिया है कि इस सुस्थापित विधिक सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना है। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम हैं और जेल अपवाद है"।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार को उचित ठहराए।

12. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसका नाम पुलिस के समक्ष दिए गए उसके अपने इकबालिया बयान में आया है, और मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. आवेदक सतीश, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी राशि में दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

14.उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

15.यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

13 जनवरी, 2026

विकास वर्मा